भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3892

दिनांक 12 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना

3892. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कानून के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसके लाभ क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने गायों के संरक्षण और पालन को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष योजना या बजट की घोषणा की है; और

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) जी, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे के अंतर्गत, पशुओं के संरक्षण के मामले में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त है।

(ग) और (घ) गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू की गई पहलों में सहायता करने और उन्हें सुदृढ़ करने हेतु, पशुपालन और डेयरी विभाग दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित कर रहा है। इस मिशन का फोकस गोपशु की देशी नस्लों का विकास एवं संरक्षण करना है। इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जुलाई 2021 में इस योजना को संशोधित और पुनर्संरेखित किया गया था। योजना के सफल कार्यान्वयन तथा राज्यों की उच्च मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मार्च 2025 में 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन के साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन को पुनः संशोधित किया है। इसके परिणामस्वरुप 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल अर्थात् वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के लिए योजना का कुल परिव्यय 3400 करोड़ रुपए हो गया है।

***